भारत सरकार

मत्स्यसरकपालनपशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1467

दिनांक 11 फरवरी, 2020 के लिए प्रश्न

विषय: भैंसों की संख्या में वृद्धि

1467. श्रीमती गीताबेन वी. राठवाः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित मुर्रा विकास योजना के अंतर्गत देश में मुर्रा प्रजाति की भैंसों की संख्या में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन सभी का बीमा करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) क्या बीमा राशि का भुगतान समय पर किया जा रहा है; और

(घ) क्या जानलेवा रोगों से उन प्रजातियों के संरक्षण हेतु टीकाकरण अभियान आरंभ किया जा रहा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) पशुधन संगणना 2007 के अनुसार, मुर्रा भैंसों की कुल सं. 20.49 मिलियन थी जबकि नस्ल सर्वेक्षण-2013 के अनुसार, शुद्ध और ग्रेडेड सहित मुर्रा की अनुमानित संख्या 48.25 मिलियन थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) राज्य सरकारों के सहयोग से पशुधन विकास उप-मिशन के तहत जोखिम प्रबंधन और बीमा घटक का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत, स्वदेशी, संकर नस्ल दुधारु पशु, भारवाही पशु (घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोपशु, भैंसा) और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन) शामिल हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएमएल) एक मांग- आधारित योजना है। कार्य 2016-17 से 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन और बीमा घटक के तहत कुल 24 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान इस घटक के तहत कुल 128.63 करोड़ रु. की कुल निधि जारी की गई है।

(घ) सरकार हैमरेज सेप्टिसेमिया (एचएस), ब्लैक कार्टर (बीक्यू) जैसे रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम (एलएच एण्ड डीसी) के तहत वित्तीय सहायता के रूप में सहायता प्रदान कर पशु रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2019 से 2024 तक 5 वर्षों के लिए 13,343 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय के साथ राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से खुरपका और मुंहपका (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) नामक स्कीम प्रारम्भ की है। इसमें एफएमडी के विरुद्ध द्विवार्षिक टीकाकरण के लिए देश में गोपशु, भैंसों, भेड़, बकरियों और सूअरों के 100 प्रतिशत टीकाकरण और ब्रूसेलोसिस के विरुद्ध भी मादा गोपशु और भैंस की कटिया (4-8 महीने की आयु के) को जीवन में एक बार 100 प्रतिशत टीकाकरण की परिकल्पना की गई है।